सं.1/3/2008-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.07.2017 से लागू दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 7 अप्रैल, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, **जो पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार** पूर्व-संशोधित वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करते आ रहे हैं, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में 01.01.2017 से संशोधन किया गया था।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की विद्यमान 264% की दर **01.07.2017 से बढ़ाकर 268%** कर दी गई है।

3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 3 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा. सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू बने रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के भी ध्यान में लाई जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।